BULANDSHAHR POLICE

दिनाँक 20 मार्च 2023

बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त सिद्धद् पुत्र ननुआ निवासी मौहल्ला लोधान कस्बा व थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा दिनांक 21-09-2001 को पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना जहांगीराबाद पर मुअसं-273/2001 धारा-307 भादवि पंजीकृत है। जिसमें पुलिस द्वारा दिनांक 28-02-2002 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इस अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिन्हित करते हुए अभियोग में मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 20.03.2023 को मा0 न्यायालय, एडीजे-06 बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सिद्धद् को 10 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक श्री राजीव कुमार मलिक का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर